

कार्यालय तहसीलदार

SDRF नोर्मस के अन्तर्गत रिपोर्ट DMIS पोर्टल पर अपलोड हेतु

➤ प्रभावित से संबंधित विवरण:-

(1) आवेदक का नाम :- पिता/पति का नाम :-

(2) निवासी तहसील :- जिला हनुमानगढ़

➤ प्रभावित के परिवार के सदस्यो एवं कुल वार्षिक आय का विवरण

(1) कुल वार्षिक आय :-

(2) परिवार के सदस्यो का विवरण :-

नाम	उम्र	संबंध

➤ प्राकृतिक आपदा/हानि का विवरण

(1) प्राकृतिक आपदा दिनांक

(2) प्राकृतिक आपदा किस्म (i)आग (ii)बाढ़ (iii)चक्रवात (vi)वर्षा (vi) आकाशीय बिजली

जनहानि की स्थिति में

1. SDRF नोर्मस के मुताबिक बिन्दु संख्या 1 Gratuitous Relief में देय सहायता राशि:-

(a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs. 4.00 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
(b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye (s).	Rs. 74100/- per person, when the disability is between 40% and 60% Rs. 2.50 lakh per person, when the disability is more than 60% subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
(c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 16,000/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 5400/- per person requiring hospitalization for less than a week. Note: Injured persons getting treatment under the 'Ayushman Bharat' Yojna, will not be eligible for relief under this item.

➤ मृतक/घायल की स्थिति

➤ मृत्यु होने पर आश्रित का नाम

➤ मृतक विवाहित है अथवा नहीं (अगर विवाहित है तो पत्नी/पति के द्वारा आवेदन तथा अविवाहित की स्थिति में पिता/माता के द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजात)

➤ SDRF नोर्मस के बिन्दु संख्या के अनुसार देय सहायता राशि

➤ संलग्न निम्नानुसार-

- पोस्टमार्टम की प्रति हां/नहीं
- पटवारी की फर्द/मौका रिपोर्ट हां/नहीं
- एफआईआर/रोजनामचा रिपोर्ट हां/नहीं
- आधारकार्ड/राशनकार्ड हां/नहीं

कपड़े व घरेलू सामान की हानि होने की स्थिति में

2. SDRF नोर्मर्स के मुताबिक बिन्दु संख्या 1 Gratuitous Relief में देय सहायता राशि:-

(a) Clothing and utensils/house-hold goods for families whose houses have been washed away/fully damaged/ severely inundated for more than two days due to a natural calamity..	Rs. 2500/- per family, for loss of clothing. Rs. 2500/- per family, for loss of utensils/house hold goods.
---	---

- अनुमानित नुकसान की राशि
- नुकसान सामान का विवरण
- SDRF नोर्मर्स के बिन्दु संख्या के अनुसार देय सहायता राशि
- संलग्न निम्नानुसार-
 1. पटवारी की फर्द/मौका रिपोर्ट हां/नहीं
 2. एफआईआर/रोजनामचा रिपोर्ट हां/नहीं
 3. आधारकार्ड/राशनकार्ड हां/नहीं

आवासीय मकान की दशा में

3. SDRF नोर्मर्स के मुताबिक बिन्दु संख्या 10 Housing में देय सहायता राशि

(a) Fully damaged/destroyed houses	Rs.1,20,000/- per house in plain areas
(i) Pucca house	
(ii) Kutcha house	
(b) Severely damaged houses	
(i) Pucca house	Rs. 6500/- per house
(ii) Kutcha house	
(c) Partly damaged houses	Rs. 4000/- per house
(i) Pucca house (other then huts) where the damage is atleast 15%	
(ii) kutcha (other then huts) where the damage is atleast 15%	
(d) damaged/destroyed huts.	Rs. 8000/- per hut , (Hut means temporary, make shift unit inferior to Kutcha house made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the state/District authorities) Note:- The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government.
(e) Cattle shed attached with house	Rs. 3000/- per shed

- अनुमानित नुकसान की राशि
- मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त/आंशिक क्षतिग्रस्त वर्षा की मात्रा (एमएम में)
- मकान कच्चा/पक्का
- SDRF नोर्मर्स के बिन्दु संख्या के अनुसार देय सहायता राशि
- मकान में निर्मित कमरों की स्थिति-

मकान में निर्मित कुल कमरों की सं.		क्षतिग्रस्त कमरों की संख्या		शेष सुरक्षित उपलब्ध कमरों की सं.	
पक्का	कच्चा	पक्का	कच्चा	पक्का	कच्चा

- संलग्न निम्नानुसार-
 1. पटवारी की फर्द/मौका रिपोर्ट हां/नहीं
 2. एफआईआर/रोजनामचा रिपोर्ट हां/नहीं
 3. मकान का पट्टा/अतिक्रमण में नहीं होने का रिपोर्ट हां/नहीं
 4. आधारकार्ड/राशनकार्ड हां/नहीं
 5. मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट हां/नहीं
 6. वर्षा होने की स्थिति में अत्यधिक वर्षा/जल भराव की स्थिति का प्रमाण पत्र हां/नहीं

पशुहानि होने की स्थिति में

- 4 SDRF नोर्मस के मुताबिक बिन्दु संख्या 6 **ANIMAL HUSBANDRY ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS** में देय सहायता राशि—

(i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	Milch animals- Rs. 37,500/- Buffalo/cow/camel/yak/Mithun etc. Rs. 4,000/- Sheep/Goat/Pig Draught animals- Rs. 32,000/- Camel/horse/bullock, etc. Rs. 20,000/- Calf/Donkey/Pony/Mule The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animals or 30 small milch animals or 3 large draught animals or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government.) Poultry:- Poultry @ 50/-per bird subject to a ceiling of assistance of Rs. 10000/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. Note- Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
--	---

- मृत पशुओं की अनुमानित नुकसान की कीमत
- मृत पशुओं की संख्या पशु का नाम गाय/भैंस/ऊँट आदि
- मृत पशु दुधारू है अथवा नहीं
- आवेदक के पास धारित कुल कृषि भूमि
- आवेदक की श्रेणी (लघु/सीमान्त/अन्य कृषक/मजदूर)
- SDRF नोर्मस के बिन्दु संख्या के अनुसार देय सहायता राशि
- संलग्न निम्नानुसार—

1. पटवारी की फर्द/मौका रिपोर्ट	हां/नहीं
2. एफआईआर/रोजनामचा रिपोर्ट	हां/नहीं
3. लघु/सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र	हां/नहीं
4. पशु क्रय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र	हां/नहीं
5. मृत पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	हां/नहीं
6. आधार कार्ड/राशनकार्ड	हां/नहीं

पटवारी हस्ताक्षर

तहसीलदार हस्ताक्षर

कार्यालय तहसीलदार

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक..... पुत्र
श्री.....जाति.....निवासी
.....(पूर्ण पता) दिनांक.....(घटना दिनांक) को अत्याधिक
वर्षा/जल भराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपदा जनित परिस्थितियों
में आवेदक के रहवासी मकान की क्षति हुई है। मेरे द्वारा प्रकरण में जांच कर ली गई,
नियमानुसार प्राकृतिक आपदा से हुई हानि के लिए सहायता दिये जाने की अनुशंसा करता
हूँ।

हस्ताक्षर
तहसीलदार

कार्यालय तहसीलदार.....

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री.....
पुत्रश्री.....जाति.....निवासी.....
के नाम चक पटवार हल्का में कृषि भूमि सिंचित/असिंचित
..... हैक्टेयर रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थी की श्रेणी (लघु/सीमांत/अन्य
कृषक/मजदूर) कृषक है। मेरे द्वारा प्रकरण में जांच कर ली गई,
नियमानुसार प्राकृतिक आपदा से हुई हानि के लिए सहायता दिये जाने की अनुशंसा करता
हूँ।

तहसीलदार

.....